के अनुसूचित उद्योगवार ब्यौरे को दर्शानेवाला एक विवरण अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट सं० CLXVIII अनुपत्र सं० 35]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जन-शक्ति का युक्तिसंगतीकरण किया जाना

2185. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जनशक्ति के युक्तिसंगतीकरण करने हेतु क्या प्रयास किये हैं; और

(ख) इस दिशा में सरकार को कितनी सफलता मिली है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को संघ के अन्तर्नियमों के तहत अपनी आवश्यक तदनुसार अधिकारियों व कर्मचारियों को नियुक्त करने और उन्हें हटाने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए मानवशक्ति के यौक्तिकीकरण का उत्तरदायित्व सरकारी क्षेत्र के संबद्ध उपक्रमों के निदेशक मण्डलों पर है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयासों का विवरण नीचे दिया गया है :—

(i) नवीकरण/पुनर्स्थापन संबंधी योजना तैयार करने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल में सरकारी क्षेत्र के 44 रुग्ण उपक्रमों का पंजीकरण करना।

(ii) मानव शक्ति के यौक्तिकीकरण के उद्देश्य से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-योजना आरम्भ करना।

यौक्तिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और इसकी सफलता का इतनी जल्दी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। बहरहाल पिछले तीन वर्षों के दौरान जब तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान सरकारी उद्यमों में कर्मचारियों की कुल संख्या नीचे दी गई है :—

समाप्त वर्ष	कर्मचारियों की संख्या (लाखों में)
31-3-1991	22.36
31-3-1991	22.19
31-3-1992	21.84

लघु उद्योगों का विस्तार

2186. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों को स्थापित करने तथा उनके विस्तार के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किराया-खरीद आधार पर मशीनरी की आपूर्ति करने हेतु कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा गुजरात में क्या-क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इन राज्यों में इन सुविधाओं से गत वर्ष में लघु उद्योगों तथा उनमें नियोजित कर्मकारों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

Assistance ID Stales for revival of sick industries

2187. SHRI S. AUSTIN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the total assistance provided by the Union Government to each State during each of the last three years for the revival of sick small scale industries; and

(b) the assistance proposed to be given for 1992-93, State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY DEPTT. OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) The amount sanctioned by the Union Government under the margin money scheme for the revival of sick small scale industries was Rs. 10 lakhs during 1989-90 to the State of Uttar Pradesh, Rs. 28 lakhs to the State of Kamataka during 1990-91, Rs. 3.37 lakhs and Rs. 24.62 lakhs to the States of Rajasthan and Tamil Nadu respectively during 1991-92. During 1992-93, the amount of Rs. 15.67 lakhs was sanctioned to the State of Kamataka. Other States except those mentioned above have not claimed any such assistance during the last 4 years under the scheme. Besides the banks are also helping in revival of sick units as per RBI guidelines.

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड में कर्मकारों की बकाया राशियां

2188. **श्री राम नरेश यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड में चेयरमैन, सहायक प्रबन्ध निदेशक सहित अन्य पदों के लिये चयन कर लिया है; और भविष्य में इन पदों को कब तक भरे जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या यह सच है कि इस कारण प्रबंधकों ने कर्मकारों की वर्ष 1987 से आज तक की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है; और

(ग) भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं और बकाया राशि का कर्मकारों को कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में (औद्योगिक विकास विभाग) राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड में अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक के पद को भरने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है;

(ख) और (ग) निधियों की कमी के कारण, कामगारों को केवल 1-1-1987 से संशोधित किए गए वेतन के कारण देय बकाया राशि का भुगतान किया गया है ।

Refund of booking money by Sipani Automobiles Ltd.

2189. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that M/s. Sipani Automobiles Ltd, 25/26, Industrial Suburb, II Stage, Tunikar Road, Bangalore which collected huge amount of money against thousands of booking orders from the intending purchasers ot cars has so far neither gone into production of vehicle nor returned/refunded the money; and

(b) if so, whether Government propose to look into the matter and punish the culprit for cheating the innocent purchasers and also ensure that booking money with interest is returned to the concerned persons without any further delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPTT. OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)
WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPTT. OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI)-(a) M/s. Sipani Automobiles Ltd., have been in production for the last three years and are reported to have delivered 2500 cars against advance bookings. They have reported that they have refunded advance booking money in 6000 cases and that another 3000 requests are under process by them.

(b) The acceptance of advance money against booking of vehicles is a contractual obligation between the consumers and the company. Redressal of non-refund of advance money in such cases could be sought under the Consumer Protection Act.

Guidelines issued for Wage Negotiations in PSUs

2190. SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI GAYA SINGH:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that guidelines have been issued by the Department of Public Enterprises (DPE) for the firth round of wage negotiations in public sector undertakings: and

(b) if so, what are the details of these guidelines?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPTT. OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPTT. OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir.

(b) Underthe new wage policy, the Managements are free to negotiate the wage structure keeping in view and consistent with the generation of resources/profits by the individual enterprises/units. The Government will not provide any budgetary support for the wage increases and the respective managements will have to find the requisite resources from within their own internal generation. For certain PSEs which are monopolies or near monopolies or having an administered price structure, it must be ensured that increase in wages after negotiations do not result in an automatic increase in administered prices of their goods and services.

It has also been decided that the period of wage settlements shall be for 5 years and the revisions shall be subject to the condition that there shall be no increase in labour cost perunit of output.

Heavy Public Sector Units Suffering Losses

2191. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:
SHRI SOM PAL:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain heavy public sector units in the country are likely to suffer 100 per cent more losses than anticipated during 1992-93;.